

राजनयिक/कौंसिलीय अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से
मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप
(सक्षम प्राधिकारी की मार्फत तीन प्रतियों में भेजा जायेगा)।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी.....

1. राजनयिक/कौंसिलीय अधिकारी का पूरा पता नाम, पदाभिधान और पता राजनायिम मिशन/कौंसिलीय कार्यालय या पोस्ट का पूरा नाम, और स्टेशन
2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु
3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे यान क्रय किया गया था। उस पतन का नाम और पता जिससे होकर यान का आयात किया गया था। उस व्यक्ति या कंपनी का नाम जिसके बंधित स्टॉक से यान क्रय किया गया था और पक्ष का नाम
4. वह देश जिससे आयात किया गया
5. यान का वर्ग
6. बॉडी का टाइप
7. निर्माता का नाम
8. विनिर्माण का वर्ष
9. सिलेण्डरों की संख्या
10. अश्व शक्ति
11. निर्माता का वर्गीकरण या, यदि ज्ञान न हो तो पहिया आधार
12. चेसिस संख्यांक
13. ¹[इंजन संख्या या बैटरी चालित यानों की दशा में मोटर संख्या].....
14. बैठक के स्थान (चालक सहित)
15. लदान रहित भार
16. पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि कोई हो)
17. मैं घोषणा करता हूं कि यान भारत में किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है
18. बॉडी और विंग फ्रंट का रंग या के रंग
19. टायरों की संख्या, वर्णन और उनके साईज-
(क) आगे वाली धुरी
- (ख) पीछे वाली धुरी
- (ग) कोई अन्य धुरी
20. अधिकतम लदान वजन किलोग्राम
21. अधिकतम धुरी वजन (केवल भारी मोटर यानों की दशा में दिया जाना है)
(क) आगे वाली धुरी किलोग्राम
(ख) पिछे वाली धुरी किलोग्राम
(ग) कोई अन्य धुरी किलोग्राम।
उपर्युक्त विशिष्टियां दो या अधिक धुरियों के ठोस फ्रेम वाले मोटर यान के लिए ही भरी जानी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(विदेश मंत्रालय (प्रोटोकोल) प्रभाग या संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि (नाम और पद) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजनयिक अधिकारी/कौंसिलीय अधिकारी है और वह रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छूट के हकदार है/नहीं है।

न.....

अधिकारी के हस्ताक्षर पदाभिधान

ख.....